प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 02 जनवरी, 2018

विषय: मे0 फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल में श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता (एवियानिक्स), को वायुयान हॉकर 900 एक्सपी पर एवियानिक्स प्रशिक्षण दिए जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 2985/ना0उ0नि0/इंजी0/एफ-2/2017, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में वायुयान हॉकर 900 एक्सपी पर श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता को दिनांक 08 जनवरी, 2018 से 17 फरवरी, 2018 तक (आने-जाने हेतु प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 दिन) अनुरक्षण प्रशिक्षण संस्थान मेसर्स फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में वायुयान हॉकर 900 एक्सपी पर एवियानिक्स प्रशिक्षण कराए जाने के लिए विदेश यात्रा की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में दी गई स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में श्री कन्हैया लाल गुप्ता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जाएगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जाएगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जाएगा।

(3) श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता को भारत से यू0एस0ए0 एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(4) श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डा तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) विदेश में किए गए अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता एवं होटल किराया उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जाएगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं/फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाए।

3- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1-428/दस-2017, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0संख्या-1/2018/1247(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सम्बन्धित अभियन्ता।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in